DAY-NULM
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

Email/Speed Post/By Hand

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून–248001

E mail – nulmsudauk@gmail.com, दूरभाष – 0135–2742885, फैक्स. 0135–2742885

पत्रांकः–573/सूडा/DAY-NULM/EST&P/2018–19, देहरादूनः दिनांक :– 04/05/2018

सेवा में,

Bhagini Nivedita Shiksha Samiti,
40, Shiv Shakti Nagar,
Ahmadpur, Hosangabad Road, Bhopal (MP)

विषय :– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0)–ई0एस0टी0पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण बैच आरम्भ किये जाने हेतु कार्यादेश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0)–ई0एस0टी0पी0 के अन्तर्गत नगर निकायः– हरिद्वार हेतु Automotive सेक्टर के मॉड्यूल Dealership Sales and Value Added Services Executive-ASC/Q1012 (Timing- 9:00am to 1:00pm (Two Batch) & 2:00pm to 6:00pm (Two Batch) (Total Hours: 700 per batch) के अन्तर्गत कुल 120 लाभार्थियों हेतु प्रस्तुत Inception Report के क्रम में उक्त प्रशिक्षण बैच निम्न शर्तो की पूर्ति के उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र– नियर ईदगाह, ज्वालापुर, हरिद्वार में आरम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1– स्वीकृत इन्सेप्शन रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के इतर लाभार्थी को प्रशिक्षण से आच्छादित नही किया जायेगा।

2– प्रशिक्षण बैच व प्रशिक्षणार्थी का विवरण दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0) एम0आई0एस0– www.nulm.gov.in में अपलोड किया जायेगा तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतनीकृत (update) किया जायेगा। प्रशिक्षण बैच एवं प्रशिक्षणार्थियों की एम0आई0एस0 में प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्रशिक्षण बैच आरम्भ माना जायेगा। प्रशिक्षण प्रदाता कार्यादेश प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर एम0आई0एस0 में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेगें। उक्त अवधि में प्रविष्टि न होने के दशा में यह माना जायेगा कि प्रशिक्षण प्रदाता बैच प्रारम्भ करने के इच्छुक नही है और प्रशिक्षण बैच स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन/सर्टिफिकेशन हेतु SSC Course सम्बन्धित एस0एस0सी0 से सम्पर्क करते हुये बैच/प्रशिक्षणार्थियों का विवरण SSC के अनुसार Web Portal पर अंकित करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित नगर निकाय को 03 दिन पूर्व सूचित करना सुनिश्चित करें।

4– समस्त प्रशिक्षणार्थियों के पास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिये।

5– समान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक प्रशिक्षण केन्द्र में संचालित प्रशिक्षण बैचों के मध्य न्यूनतम् 1 घंटे का अन्तराल रखा जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ट्रेड प्रशिक्षक व सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक की पृथक–पृथक नियुक्ति अनिवार्य होगी। प्रशिक्षण संस्था को SSC Course में सॉफ्ट स्किल हेतु कोई अतिरिक्त घण्टे प्रदान नही किये जायेगें, क्योंकि SSC Course में सॉफ्ट स्किल Core Skill के साथ ही समाहित होती है।

6– प्रशिक्षण केन्द्र के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संलग्न डिजाईन के अनुसार 8"X4" का ग्लो साईन बोर्ड एवं प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर 8"X4" का विस्तृत बोर्ड/बैनर लगाना अनिवार्य होगा। **(प्रारूप संलग्न)।**

7– प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षक व प्रशिक्षण केन्द्र में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी पूर्वानुमति सम्बन्धित नगर निकाय से प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

9– प्रशिक्षण बैच के इनसैपशन रिपोर्ट की 01 हार्ड कॉपी सम्बन्धित नगर निकाय को तत्काल उपलब्ध करानी होगी तथा 01 कॉपी प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण अवधि तक अनिवार्य रूप से रखी जायेगी।

8– प्रशिक्षण आरम्भ करने की लिखित सूचना इस कार्यालय सहित सम्बन्धित नगर निकाय के नगर आयुक्त अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को न्यूनतम् 03 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक होगी तथा प्रशिक्षण बैंच आरम्भ करने के दिन नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व जनपद के अन्य अधिकारियों को यथासम्भव आमंत्रित किया जाये।